न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 39 / 21 **वर्ष 2021**
जीसीएम संख्या :–2021 / 142

बउनवानीः– 1. सुरेन्द्र पुत्र चिरंजीलाल रेगर निवासी मौहल्ला रेगरान, चौथ का बरवाडा
2. शंकर पुत्र मांगीलाल रेगर निवासी मौहल्ला रेगरान, चौथ का बरवाडा
3. नैनूराम पुत्र घासी रेगर निवासी मौहल्ला रेगरान, चौथ का बरवाडा
4. रामनाथी पत्नि रामदेवा रेगर निवासी मौहल्ला रेगरान, चौथ का बरवाडा
5. मनोज पुत्र चिरंजी लाल रेगर निवासी मौहल्ला रेगरान, चौथ का बरवाडा
6. गजानन्द पुत्र भागीरथ रेगर निवासी मौहल्ला रेगरान, चौथ का बरवाडा

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ,ग्रा.प.चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. महेन्द्र कुमार पुत्र तेजराम वर्मा निवासी रेगर बस्ती चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 128 दिनांक 23.8.2013 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री अजय शेखर दवे वकील प्रार्थीगण
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थी–2

–: निर्णय :– **दिनांक 01.12..2021**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा जारी पटटा संख्या 128 दिनांक 23.8.2013 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व मौके का भली प्रकार से निरीक्षण नही करवाया गया है तथा एकतरफा तरीके से रास्ते की भूमि आवंटित कर उसका दिनांक 22.10.2013 को पटटा जारी कर दिया है। ग्राम चौथ का बरवाडा की रेगर बस्ती मे उभयपक्षों के आवासीय मकान है प्रार्थीगण अपने आवास से रामदेव मंदिर व अन्य स्थानों को जाते है ,बस्ती मे आने जाने का एक मात्र रास्ता है जो 8 फीट चौडा है ग्राम पंचायत ने निर्णय दिनांक 23.8.2013 को उक्त भूमि मे से करीब 3 फीट भूमि काटकर गुप्त तरीके से उसका पटटा विपक्षी महेन्द्र को दे दिया तथा वर्तमान में विपक्षी अपने खाम मकान को तोडकर पक्का निर्माण कर रहा है जिसमे वह उभय पक्षो के रास्ते की 3 फुट भूमि को दबा कर निर्माण कर रहा है इस निर्माण के बाद रास्ता मात्र 3 फीट की गली के रूप मे रह जावेगा, इससे प्रार्थीगण समेत सभी [illegible] जावेगी। इस प्रकार रास्ते की 3 फीट भूमि पर पटटा देने से आबादी भूमि के वि[illegible] का उल्लंघन किया है। यह तर्क भी दिया कि आलौच्य निर्णय की मौ[illegible] स्थल पर पूर्व पश्चिम 6 फीट का रास्ता बताया है जबकि यही [illegible] प्रकरण मे मौका रि[illegible]नांक 27.6.2018 को 8 फीट अंकित किया है। प्रार्थीगण को विपक्षी [illegible] मकान की भूमि मे से [illegible]की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

Gu.
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

3 फीट भूमि मिलाकर देने के निर्णय पर विरोध है शेष सम्पति के पटटे पर ऐतराज नही है । इसलिए 3 फीट की सीमा तक निर्णय संशोधित कर आदेश जैर निगरानी 3 फीट की सीमा तक निरस्त करवाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

: विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि प्रार्थी का मकान हमारे मकाने के सामने है तथा प्रार्थी ने अपने मकान के आगे चबूतरा बना रखा है जिसके कारण रास्ता संकरा हुआ है तथा अपने मकान पर रोस भी निकाल रखे है ओर मेरे रोस निकालने पर आपत्ति कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा मुझे जितनी भूमि का पटटा जारी किया गया है उसी भूमि पर मेरे द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तथा मेरे मकान निर्माण करने के उपरान्त भी 6 फीट का रास्त शेष बच रहा है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व एक माह का आपत्ति नोटिस दिया गया था तब किसी के द्वारा ग्राम पंचायत मे आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी थी। तथा पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मेरे खाम मकान की पूरी नाप चोप करने के बाद ही पटटा जारी किया गया है। किन्तु मुझे परेशान करने की गरज से प्रार्थीगण द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की गयी है जिसको खारिज फरमाया जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अप्रार्थी के पक्ष मे जारी किया गया पटटा संख्या 128 दिनांक 23.8.2013 के पूर्व दिशा में 6 फीट की गली है तथा अप्रार्थी को पूर्व से पश्चिमी दिशा में 18 फीट का पटटा दिये जाने से गली की चौडाई 6 फीट के स्थान पर 3 फीट ही रह जाती है जो कि बहुत ही कम है। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटे मे 3 फीट भूमि रास्ते की दिया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है तथा रास्ते की भूमि पर पटटा दिये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के पक्ष मे जारी उक्त पटटा रास्ते की 3 फीट भूमि की सीमा तक निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी (पटटा संख्या 28 दिनांक 23.8.2013) को 3 फीट की सीमा तक निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं मौके पर रास्ते की स्थिति का परीक्षण करवाया जाकर पूर्व में जमा करवायी गयी पटटा शुल्क पर ही अप्रार्थी को पुनः संशोधित पटटा जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को लिखवाया जाकर [illegible] न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर